बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध–21/2015– 1479 खाद्य, पटना/दिनांक– 20.03.18

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :– CWJC No. 19386/2017 शिव दुर्गा चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.02.2018 को निर्गत न्याय निर्णय।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि CWJC No. 19386/2017 शिव दुर्गा चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.02.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

प्रायः देखा जा रहा है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के पूर्व स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु जन वितरण प्रणाली विक्रेतओं को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया जाता है एवं अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय नही दिया जाता है। साथ ही, अनुज्ञप्ति रद्दीकरण हेतु आदेश पारित करने से पूर्व "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" में वर्णित सांविधिक मानक (Statutory Norms) का अनुपालन नही किया जाता है, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना को जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा की गई वृहत अनियमितता की अनदेखी कर प्रारंभिक स्तर पर ही तकनीकी आधार पर वादों का निस्तारण करना पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" की कंडिका–32 के अनुसार अपील वाद/पुनरीक्षण का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किये जाने का प्रावधान है, जिसका ससमय अनुपालन किया जाय। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 407 दिनांक 24.01.2018 द्वारा भी अनुरोध किया गया है।

अतः संलग्न न्याय निर्णय के आलोक में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के पूर्व "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विरूद्ध अनुज्ञप्ति धारक को सांविधिक मानक (Statutory Norms) का अनुपालपन सुनिश्चित करने, जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं स्पष्टीकरण समर्पित करने का पर्याप्त समय मुहैया कराने हेतु अपने स्तर से अनुज्ञापन पदाधिकारी को निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

20/3/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–21/2015– 1479 खाद्य, पटना/दिनांक– 20.03.18

प्रतिलिपि – अनुलग्नक सहित सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/2018

सरकार के सचिव।

D:\M_2016\Sec_7\PDS_Letter.doc